[2021] 9 एस. सी. आर. 1034

के. अंजिनाप्पा

बानाम

के. सी. कृष्णा रेड्डी और ए. एन. आर.

(2019 की सिविल अपील संख्या 7478)

17 दिसंबर, 2021

[एम. आर. शाह और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

अधिवक्ता अधिनियम, 1961-एस. 35 , 36 , 36 बी-आयोजित: राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा प्राप्त शिकायत का निपटान एस. 35 की अवधि के भीतर

इसकी प्राप्ति के एक वर्ष के भीतर-वर्तमान मामले में, आंध्र प्रदेश राज्य बार काउंसिल के समक्ष एक अधिवक्ता के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा दायर शिकायत पर एक वर्ष के लिए निर्णय नहीं लिया गया था और इसलिए इसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसने इसे गुण-दोष पर विचार किए बिना खारिज कर दिया था-हालांकि, अब बाद में राज्य बार काउंसिल द्वारा शिकायत का निपटारा कर दिया गया है-संशोधन भारतीय बार काउंसिल के समक्ष लंबित है-इस प्रकार, अपीलार्थी द्वारा की गई शिकायत पर आगे किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है।

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 - s.36B-का उद्देश्य और उद्देश्य -

चर्चा की।

अधिवक्ता अधिनियम, 1961-बार काउंसिल ऑफ इंडिया/स्टेट बार काउंसिल

-ऊपर डाला गया कर्तव्य-चर्चा-न्यायिक अवमूल्यन।

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 - s.36B-शिकायतों का निपटान

दिशा-निर्देश और सुझावों के लिए तंत्र पर चर्चा की गई।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से एक हलफनामा दायर किया गया है जिसमें कहा गया है कि पिछले पांच वर्षों में 1,273

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 35 के तहत दायर शिकायतों को भारतीय बार काउंसिल को स्थानांतरित कर दिया गया है।

राज्य बार काउंसिल (ओं) ने एक वर्ष के भीतर अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 के तहत शिकायतों का निपटारा नहीं किया। वर्ष 2020 और 2021 के दौरान शिकायतों की संख्या कम दर्ज की गई है। लेकिन इससे पहले 2016 से 2019 तक शिकायतों की संख्या

भारतीय विधिज्ञ परिषद को राज्य विधिज्ञ परिषदों से हस्तांतरित किए जाने की संख्या क्रमशः 171,242,214 और 490 से लगातार बढ़ रही है। ये आंकड़े न केवल अधिवक्ताओं के खिलाफ दर्ज की जा रही शिकायतों की बढ़ती संख्या को दर्शाते हैं, बल्कि इस तथ्य को भी दर्शाते हैं कि राज्य बार काउंसिलों ने एक वर्ष की अवधि के भीतर इन शिकायतों का निपटारा करने में अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है और केवल शिकायतों को कानून के संचालन द्वारा राज्य बार काउंसिलों से बार काउंसिल में स्थानांतरित करने की अनुमति दी है। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 36 बी के संदर्भ में भारत सरकार। उक्त प्रावधान के उद्देश्य और उद्देश्य को उसके सही परिप्रेक्षय में समझा जाना चाहिए। यह केवल राज्य बार काउंसिलों से भारतीय बार काउंसिल को जिम्मेदारी सौंपना नहीं है और इस तरह उनके सामने दायर की गई शिकायतों की जांच की उनकी जिम्मेदारी से बचना है। उपरोक्त धारा में कहा गया है कि

राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति धारा 35 के तहत उसके द्वारा प्राप्त शिकायत का शीघ्रता से निपटारा करेगी और राज्य बार काउंसिल के कहने पर शिकायत प्राप्त होने की तारीख या कार्यवाही शुरू होने की तारीख से एक साल की अवधि के भीतर कार्यवाही समाप्त कर दी जाएगी, जिसमें विफल रहने पर ऐसी कार्यवाही स्थानांतरित कर दी जाएगी।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इस तरह के हस्तांतरण का उद्देश्य बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कार्यवाही एक सूचना है कि

राज्य बार काउंसिल उपरोक्त एक वर्ष की अवधि के भीतर शिकायत का निपटारा करने में विफल रही है। ऐसी परिस्थिति में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इसका निपटारा करना होगा जैसे कि यह धारा की उप-धारा (2) के तहत जांच के लिए वापस ली गई कार्यवाही हो। 36 अधिनियम से। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (3) में कहा गया है कि भारतीय बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति धारा 36 के तहत किसी भी मामले का निपटारा करने में धारा 35 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगी। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (3) के तहत, अनुशासनात्मक सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट के लिए एक आदेश है।

[2021] 9 एस सी आर।

राज्य बार काउंसिल की एक समिति जो महाधिवक्ता को नोटिस देती है और आदेश देने से पहले सुनवाई का अवसर देती है

उक्त उप-धारा के अधीन। स्थानांतरित शिकायत के संबंध में धारा 36 की उप-धारा (3) को ध्यान में रखते हुए, संभवत: इससे पहले भारत के महान्यायवादी को नोटिस दिया जाना चाहिए। धारा 36 की उप-धारा (2) के अनुसार शिकायत का निपटान

अधिनियम। फिर ऐसे मामले में जांच की कार्यवाही न केवल जटिल हो जाएगी बल्कि पूरी कार्यवाही में भी देरी होगी। [पैरा 5,8.1] [1041-सी-डी; 1043-सी-एफ; 1044-डी-एफ; 1055-डी-जी]

1.2 संबंधित राज्य बार की ओर से देरी

एक वर्ष की अवधि के भीतर शिकायतों का निपटारा नहीं करने में परिषद (ओं) को अनुमोदित और सराहा नहीं जाता है। ऐसी शिकायत की प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर धारा 35 के तहत राज्य बार काउंसिल द्वारा प्राप्त शिकायत का निपटान अनिवार्य है और संबंधित राज्य बार काउंसिल (ओं) को ऐसी शिकायतों का जल्द से जल्द निपटान करना होगा और प्रत्येक मामले में कार्यवाही एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरी करनी होगी। केवल एक असाधारण मामले में, दर्ज किए जाने के लिए वैध कारण देकर एक वर्ष की अवधि के भीतर शिकायत का निपटारा क्यों नहीं किया जा सका, ऐसी शिकायतों को बार को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।

अधिवक्ता अधिनियम की धारा 36 बी के तहत प्रदान की गई भारतीय परिषद। इसलिए, अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 के तहत प्राप्त शिकायतों का राज्य बार काउंसिल से बार काउंसिल ऑफ इंडिया को हस्तांतरण एक अपवाद है। हालाँकि, संबंधित राज्य बार काउंसिलों को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों के लिए, उन्हें एक वर्ष के भीतर धारा 35 के तहत प्राप्त शिकायतों का निपटारा नहीं किया जा रहा है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि शिकायतें साथी अधिवक्ताओं के खिलाफ दायर की जाती हैं और वे उन अधिवक्ताओं को अप्रसन्न नहीं करना चाहेंगे जिनके खिलाफ शिकायतें की जाती हैं। एक वर्ष की अवधि के भीतर शिकायतों का निपटारा नहीं करने के कुछ वैध कारण भी हो सकते हैं। लेकिन उसी के लिए, एक वर्ष की अवधि के भीतर शिकायतों का निपटारा क्यों नहीं किया जा सका, इसके कारण बताए/दर्ज किए जाने चाहिए। कई मामलों में, शिकायतों को जानबूझकर एक वर्ष से अधिक समय तक लंबित रखा जाता है, ताकि उन्हें वकील अधिनियम की धारा 36 बी के तहत भारतीय बार काउंसिल को हस्तांतरित किया जा सके। [पैरा 9] [1045-जी-एच; 1046-सी-एफ] के. एंजीनाप्पा बनाम।

के. सी. कृष्णा रेड्डी और ए. एन. आर.

1.3 अनुशासनात्मक पक्ष पर अपने कामकाज में सुधार करना बार काउंसिल ऑफ इंडिया/स्टेट बार काउंसिल का कर्तव्य है। इस प्रकार,

अधिवक्ता अधिनियम, एक कर्तव्य भारतीय विधिज्ञ परिषद/राज्य विधिज्ञ परिषद पर कानूनी की अखंडता की रक्षा करने के लिए डाला गया है।

पेशा. यह बार काउंसिल ऑफ इंडिया/संबंधित राज्य बार काउंसिलों का कर्तव्य है कि वे हर कीमत पर कानूनी प्रणाली की कुलीनता सुनिश्चित करें। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 और 36 बी के तहत बार के सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। अधिदेश शिकायत का निपटारा करना है।

धारा 35 और/या धारा 36 के तहत उक्त शिकायत प्राप्त होने की तारीख से एक साल की अवधि के भीतर और/या भारतीय बार काउंसिल को ऐसी कार्यवाही की तारीख से प्राप्त किया गया। अधिनियम के तहत निर्धारित समय के भीतर शिकायत का निपटारा नहीं करना उनकी ओर से प्रदर्शन करने में विफलता के समान होगा।

अधिवक्ता अधिनियम के तहत दिया गया कर्तव्य। [पैरा 9.1,10] [1046-एफ; 1049-ई-जी]

आर. मुथुकृष्णन बनाम महापंजीयक, मद्रास उच्च न्यायालय, (2019) 16 एस. सी. सी. 407: [2019] 1 एससीआर 589; पुन:: संजीव दत्ता, उप सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली; कैलाश

वासदेव, अधिवक्ता और किट्टी कुमारमंगलम (श्रीमती),

अधिवक्ता (1995) 3 एससीसी 619: [1995] 3 एससीआर 450; धनराज सिंह चौधरी बनाम। नाथूलाल विश्वकर्मा,

(2012) 1 एससीसी 741 [2011] 16 एससीआर 240; वी. सी.

रंगदुरई बनाम। डी. गोपालन, (1979) 1 एससीसी 308: [1979] 1 एस. सी. आर. 1054; अजीतसिंह अर्जुनसिंह गोहिल बनाम। बार काउंसिल
गुजरात और अन्र. , (2017) 5 एससीसी 465: [2017] 5 एससीआर 984; जे. एस. जाधव बनाम मुस्तफा हाजी मोहम्मद यूसुफ,

(1993) 2 एस. सी. सी. 562 [1993] 2 एस. सी. आर. 1006; कोक्कंडा बी. पूंडाचा बनाम। के. डी. गणपति, (2011) 12 एससीसी 600: [2011] 4 एस. सी. आर. 417; ओ. पी. शर्मा बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, (2011) 6 एस. सी. सी. 86: [2011] 6 एस. सी. आर. 301; हरिशंकर रस्तोगी बनाम। गिरधारी शर्मा, (1978) 2 एससीसी

165 : [1978] 3 एस. सी. आर. 493-निर्भर।

1.4 बार काउंसिल ऑफ इंडिया को उचित आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया है

भारतीय बार काउंसिल के अध्यक्ष द्वारा बताए गए निर्देश। यहां तक कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी निपटान करने की आवश्यकता है ऐसी शिकायतों की प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर हस्तांतरित शिकायतें/हस्तांतरित कार्यवाही/[2021] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कार्यवाही (ओं) इसलिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश दिया जाता है कि

अंत में हस्तांतरित शिकायतों का शीघ्रता से निपटान करें, लेकिन आज से एक वर्ष के बाद नहीं और जिसके लिए भारतीय बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति भी सर्किट सुनवाई कर सकती है। संबंधित राज्य बार काउंसिलों को धारा 35 के तहत प्राप्त शिकायतों पर तेजी से निर्णय लेने और उनका निपटान करने और शिकायत प्राप्त होने की तारीख से एक साल की अवधि के भीतर इसे समाप्त करने का भी निर्देश दिया जाता है, जैसा कि अधिवक्ता अधिनियम की धारा 36 बी के तहत अनिवार्य है। भारतीय बार काउंसिल द्वारा उन शिकायतों के कुशल और त्वरित निपटान के लिए जो अधिनियम की धारा 36 बी के अनुसार उसे हस्तांतरित की गई हैं, भारतीय बार काउंसिल अनुभवी और अनुभवी अधिवक्ताओं और/या सेवानिवृत्त अधिवक्ताओं को सूचीबद्ध करने पर विचार कर सकती है। न्यायिक अधिकारी जाँच अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे जहाँ जाँच की आवश्यकता होगी। इस तरह की जांच पूरी होने पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जांच अधिकारियों की रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। उक्त जांच रिपोर्ट पर विचार करने पर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया शिकायत पर उचित आदेश पारित कर सकती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया राज्य बार काउंसिल को संबंधित राज्यों में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से जांच करने के उद्देश्य से जांच अधिकारियों के एक पैनल को सूचीबद्ध करने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी कर सकती है और उक्त जांच के समापन पर जांच रिपोर्ट को बार काउंसिल ऑफ इंडिया को प्रेषित

कर सकती है ताकि वह इस मामले में आगे की कार्रवाई कर सके। अब जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, यह बताया गया है कि बाद में अपीलार्थी-मूल शिकायतकर्ता संख्या 1 द्वारा की गई शिकायत का भी राज्य बार काउंसिल द्वारा निपटारा कर दिया गया है, जिसके खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष एक पुनरीक्षण आवेदन लंबित है। इस प्रकार, द्वारा की गई शिकायत पर आगे किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है

अपीलार्थी। [पैरा 11,12,12.1,13 और 15] [1055-डी-एफ; 1056-बी-सी, ई-एफ; 1059-बी]

मार्कंड सी. गांधी बनाम रोहिणी एम. दांडेकर, (2008)

10 एस. सी. सी. 792; भारतीय कानूनी सहायता और सलाह परिषद

बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया (1995) 1 एस. सी. सी. 732: [1995]

1 एससीआर 304; आदि फिरोजशाह गांधी बनाम एच. एम. सीरवई

महाराष्ट्र बॉम्बे के महाधिवक्ता (1970) 2

एस. सी. सी. 484 [1971] 1 एस. सी. आर. 863; बार काउंसिल

महाराष्ट्र बनाम। एम. वी. दाभोलकर (1976) 2 एस. सी. सी. 291:

[1976] 2 एस. सी. आर. 48; मंगू सिहारी बनाम के. अंजिनाप्पा की बार काउंसिल बनाम।

के. सी. कृष्णा रेड्डी और ए. एन. आर.

आंध्र प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1983 ए. पी. 271-आश्रित पर।

मामला कानून संदर्भ

[2019] 1 एससीआर 589

पैरा 9.1

उस पर भरोसा करें

[1995] 3 एससीआर 450

उस पर भरोसा करें

पैरा 10.1

[2011] 16 एससीआर 240

उस पर भरोसा करें

पैरा 10.2

[1979] 1 एससीआर 1054

उस पर भरोसा करें

पैरा 10.3

[2017] 5 एससीआर 984

उस पर भरोसा करें

पैरा 10.4

[1993] 2 एससीआर 1006

उस पर भरोसा करें

पैरा 10.5

[2011] 4 एससीआर 417

उस पर भरोसा करें

पैरा 10.6

[2011] 6 एससीआर 301

उस पर भरोसा करें

पैरा 10.7

पैरा 10.8

[1978] 3 एससीआर 493

उस पर भरोसा करें

[1995] 1 एससीआर 304

उस पर भरोसा करें

पैरा 14

[1971] 1 एससीआर 863

उस पर भरोसा करें

पैरा 14

[1976] 2 एससीआर 48

उस पर भरोसा करें

पैरा 14

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील No.7478

2019 से।

अनुशासन के 12.12.2015 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2014 के बी. सी. आई. स्थानांतरण मामले में भारतीय बार काउंसिल की समिति।

गोली रामकृष्ण, सुमंत नुकाला, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

मनन कुमार मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता।, शिशिर पिनाकी, डी. महेश बाबू,

अर्धेन्दुमाउली कुमार प्रसाद, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. विवादित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना

बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक समिति द्वारा दिनांकित

12.12.2015 जिसके द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक समिति ने अपीलार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता के खिलाफ दायर शिकायत को खारिज कर दिया है, अपीलार्थी-मूल शिकायतकर्ता संख्या 1 ने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 35 के तहत वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

[2021] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. अपीलार्थी ने पेशेवर कदाचार के आधार पर अपने अधिवक्ता के खिलाफ 2013 का शिकायत मामला दर्ज किया। द. कहा गया कि शिकायत शुरू में आंध्र राज्य की बार काउंसिल के समक्ष दर्ज की गई थी

में लगाए गए आरोपों में आगे प्रवेश किए बिना शिकायत शिकायत, यह देखते हुए कि उपरोक्त को देखते हुए, शिकायत बिल्कुल भी बनाए रखने योग्य नहीं है।

3. बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन समिति द्वारा पारित विवादित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, अपीलार्थी-मूल शिकायतकर्ता संख्या 1 ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है। 4. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी द्वारा दायर शिकायत-मूल शिकायतकर्ता संख्या 1 आंध्र प्रदेश राज्य बार काउंसिल के पास एक वर्ष से अधिक समय से लंबित थी और इसलिए इसे अधिवक्ता अधिनियम की धारा 36 बी के तहत भारतीय बार काउंसिल को स्थानांतरित कर दिया गया था, इस न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश द्वारा निम्नलिखित पारित किया:

" यह एक ऐसा मामला है जहाँ अधिवक्ता के खिलाफ शिकायत राज्य बार काउंसिल-आंध्र प्रदेश के समक्ष थी। हालाँकि, उक्त शिकायत पर राज्य बार काउंसिल-आंध्र प्रदेश द्वारा

एक वर्ष की अवधि के लिए निर्णय नहीं लिया गया और उसका निपटारा नहीं किया गया और इसलिए, इसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को स्थानांतरित कर दिया गया। शिकायत के गुण-दोष पर विचार किए बिना उक्त शिकायत को खारिज कर दिया गया है।

कई मामलों में शिकायतें संबंधित के समक्ष की जाती हैं।
हालाँकि, राज्य बार काउंसिल (ओं), किसी न किसी कारण से और यह हो सकता है कि शिकायत एक अधिवक्ता के खिलाफ है, जो संबंधित बार एसोसिएशन/बार काउंसिल का सदस्य है, शिकायतें के. अंजिनाप्पा बनाम।

के. सी. कृष्णा रेड्डी और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

भारत से। इसलिए हम
बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आह्वान करते हैं और निर्देश देते हैं कि

विवरण दर्ज करें कि अवधि के दौरान कितने मामलों में

पिछले पाँच वर्षों में शिकायतें संबंधित से हस्तांतरित की जाती हैं।

भारतीय बार काउंसिल को राज्य बार काउंसिल (ओं) और कितने में

हस्तांतरित शिकायतों/मामलों का निर्णय लिया जाता है और उनका निपटारा किया जाता है से।

13.12.2021 "पर लगाएँ।

5. दिनांकित 03.12.2021 आदेश के अनुपालन में, एक हलफनामा है

बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से दायर किया गया था। हलफनामे में कहा गया है कि पिछले पांच वर्षों में अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 के तहत दायर 1,273 शिकायतों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया को स्थानांतरित कर दिया गया है। संबंधित राज्य बार काउंसिल (ओं) ने शिकायतों का निपटारा नहीं किया

अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 के तहत एक वर्ष के भीतर। इस कथन को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

2020 2021 कुल
निपटाया गया

सीनियर। राज्य

2016

2017

2018 2019

1. आंध्र प्रदेश /

तेलंगाना

बहुत सारे लोग 5. असम आदि।

बिहार

छत्तीसगढ़

दिल्ली

गुजरात

0 3 तेल 4 8 1 0 16 0

7. हिमाचल

प्रदेश

8 . झारखंड 9 . कर्नाटक

11. मध्य प्रदेश 12 . महाराष्ट्र

& गोवा

13. ओडिशा 14. पंजाब

& 22

हरियाणा

15 . राजस्थान 16. तमिलनाडु

एम 38। एन 2। नंबर 2

17. | उत्तर प्रदेश

7

346

523

11

32

69

31

18 . उत्तराखंड

4

19. पश्चिम बंगाल

9

और 0

20 . जम्मू

कश्मीर

21. त्रिपुरा

आई.

आई.

1

22 . मणिपुर

टी

23. मेघालय

कुल

कोई नहीं [2021] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. श्री अर्धेंदुमौली कुमार प्रसाद, विद्वान वकील उपस्थित हुए

बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से कहा गया है कि उपरोक्त 1273 स्थानांतरित मामलों में से कुल 646 मामले बार काउंसिल ऑफ इंडिया को प्राप्त हुए हैं। जनवरी, 2019 से दिसंबर, 2021-महामारी की स्थिति के दौरान। यह बताया गया है कि उपरोक्त स्थानांतरित मामलों का निपटारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नहीं किया जा सका क्योंकि सुनवाई वर्चुअल मोड के माध्यम से नहीं की जा सकी थी और शिकायतकर्ताओं को शारीरिक रूप से उपस्थित होना आवश्यक था

अनुशासन समिति के समक्ष अपने साक्षय का नेतृत्व करने के लिए। यह बताया गया है कि मार्च, 2020 के मध्य से शुरू होने वाली अवधि के दौरान, राज्य बार काउंसिल के साथ-साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया भौतिक रूप से आयोजित करने में सक्षम नहीं हुए हैं अनुशासन समितियों की बैठकें। यह कहा गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष स्थानांतरित मामलों की लंबितता जानबूझकर नहीं है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया तेजी से सुनवाई करके ऐसे स्थानांतरित मामलों की लंबितता को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

7. श्री मनन कुमार मिश्रा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, जो इस अवसर पर उपस्थित हैं।

सुनवाई में, निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया गया है कि राज्य बार काउंसिलों को अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 के तहत प्राप्त शिकायतों का एक वर्ष की अवधि के भीतर निपटारा करना होगा। उन्होंने कहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया संबंधित राज्य बार काउंसिलों को आवश्यक निर्देश जारी करेगी। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 48 बी के तहत शक्ति का प्रयोग सभी राज्य बार परिषदों या उनकी किसी भी समिति को निपटान करने का निर्देश देता है

अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 के तहत प्राप्त शिकायतें एक वर्ष की अवधि सकारात्मक और बिना किसी असफलता के और यदि किसी वैध कारण से राज्य बार काउंसिल एक वर्ष की अवधि के भीतर शिकायतों का निपटारा करने में सक्षम नहीं है, तो दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ कि उक्त शिकायतों का निपटान एक वर्ष की अवधि के भीतर क्यों नहीं किया जा

सका, उक्त शिकायत को अधिवक्ता अधिनियम की धारा 36 बी के अनुसार बार काउंसिल ऑफ इंडिया को स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

8. हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्क से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हैं।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन समिति द्वारा स्थानांतरित शिकायतें। कोविड-19 महामारी मार्च, 2020 में ही शुरू हुई थी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तुत चार्ट के अनुसार, वर्ष 2016 में कुल 171 मामले; वर्ष 2017 में कुल 242 मामले; वर्ष 2018 में कुल 214 मामले और वर्ष 2019 में कुल 490 मामले बार काउंसिल ऑफ इंडिया को हस्तांतरित किए गए। कम से कम उन मामलों में के. एंजीनाप्पा बनाम हो सकता है।

के. सी. कृष्णा रेड्डी और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जल्द से जल्द निपटाया गया। कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 और 2021 में प्राप्त हस्तांतरित शिकायतों के निपटारे में देरी की सराहना की जा सकती है, लेकिन पहले की अवधि के लिए नहीं। 8.1 तालिका के अवलोकन पर यह ध्यान दिया जाता है कि कुल 1273 शिकायतों में से जिन्हें राज्य बार काउंसिलों से स्थानांतरित कर दिया गया है

इन राज्यों के संबंध में भारतीय विधिज्ञ परिषद, अर्थात।, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, प्रत्येक में 50 से अधिक शिकायतें हस्तांतरित की गई हैं। जहाँ तक महाराष्ट्र और गोवा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों का संबंध है, हस्तांतरित की गई शिकायतों की संख्या 100 से अधिक है।

इसके अलावा वर्ष 2020 और 2021 के दौरान, दायर की गई शिकायतों की संख्या कम रही है, जाहिर तौर पर इस कारण से कि अदालतें थीं

कोविड-19 महामारी और इसके परिणामस्वरूप केंद्र द्वारा समय-समय पर लगाए गए लॉकडाउन के कारण पूर्ण रूप से काम नहीं कर रहा है

सरकार और राज्य सरकारें। लेकिन इससे पहले 2016 से 2019 तक, राज्य बार काउंसिल से बार काउंसिल ऑफ इंडिया को हस्तांतरित शिकायतों की संख्या क्रमशः 171,242,214 और 490 से लगातार बढ़ रही है। ये आंकड़े न केवल अधिवक्ताओं के खिलाफ दर्ज की जा रही शिकायतों की बढ़ती संख्या को दर्शाते हैं, बल्कि इस तथ्य को भी दर्शाते हैं कि राज्य बार काउंसिलों ने निपटान में अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है इन शिकायतों को एक वर्ष की अवधि के

भीतर और केवल अधिवक्ता अधिनियम की धारा 36 बी के संदर्भ में राज्य बार काउंसिल से बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कानून के संचालन द्वारा स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई है। उक्त प्रावधान के उद्देश्य और उद्देश्य को उसके सही परिप्रेक्षय में समझा जाना चाहिए। यह केवल राज्य बार काउंसिल से बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जिम्मेदारी सौंपने के लिए नहीं है

और इस प्रकार उनके समक्ष दायर की गई शिकायतों की जांच की उनकी जिम्मेदारी से बचें। तत्काल संदर्भ के लिए, अधिनियम की धारा 36 बी निम्नानुसार निकाली गई है:

" 36 बी. अनुशासनात्मक कार्यवाही का निपटान।

(1) राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति धारा 35 के तहत उसके द्वारा प्राप्त शिकायत का शीघ्रता से निपटान करेगी और प्रत्येक मामले में राज्य बार काउंसिल के कहने पर शिकायत प्राप्त होने की तारीख या कार्यवाही शुरू होने की तारीख से एक साल की अवधि के भीतर कार्यवाही समाप्त कर दी जाएगी, जिसमें विफल रहने पर ऐसी कार्यवाही भारतीय बार काउंसिल को हस्तांतरित कर दी जाएगी जो [2021] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसका निपटारा इस तरह करें जैसे कि यह धारा 36 की उप-धारा (2) के तहत जांच के लिए वापस ली गई कार्यवाही हो।
(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ

अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का 60) के प्रारंभ पर, किसी अधिवक्ता के खिलाफ किसी भी अनुशासनात्मक मामले के संबंध में कोई भी कार्यवाही राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति के समक्ष लंबित है, कि राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति इस तरह के शुरू होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर या शिकायत प्राप्त होने की तारीख से एक साल की अवधि के भीतर या, जैसा भी मामला हो, राज्य बार काउंसिल के कहने पर कार्यवाही शुरू करने की तारीख, जो भी बाद में हो, उसका निपटारा करेगी।

ऐसी अन्य कार्यवाहियां बार को हस्तांतरित की जाएंगी

उप-धारा (1) के तहत निपटान के लिए भारतीय परिषद।]

उपरोक्त धारा में कहा गया है कि राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति धारा 35 के तहत प्राप्त शिकायत का शीघ्रता से निपटारा करेगी और राज्य बार काउंसिल के कहने पर शिकायत प्राप्त होने की तारीख या कार्यवाही शुरू होने की तारीख से एक साल की अवधि के भीतर कार्यवाही समाप्त कर दी जाएगी, जिसमें विफल रहने पर ऐसी कार्यवाही भारतीय बार काउंसिल को हस्तांतरित कर दी जाएगी। भारतीय विधिज्ञ परिषद को ऐसी कार्यवाहियों के हस्तांतरण का उद्देश्य एक सूचना है कि राज्य विधिज्ञ परिषद उपरोक्त एक वर्ष की अवधि के भीतर शिकायत का निपटान करने में विफल रही है। ऐसी परिस्थिति में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इसका निपटारा करना होगा जैसे कि यह जांच के लिए वापस ली गई कार्यवाही हो।

अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (2) के तहत। तत्काल संदर्भ के लिए, अधिनियम की धारा 36 निम्नानुसार निकाली गई है:

(1) जहां किसी शिकायत की प्राप्ति पर या अन्यथा भारतीय बार काउंसिल के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई भी अधिवक्ता [* * *] जिसका नाम किसी राज्य सूची में दर्ज नहीं किया गया है, वह पेशेवर या अन्य कदाचार का दोषी है, तो वह मामले को निपटाने के लिए उसके पास भेजेगा।
अनुशासन समिति।

(2) इस अध्याय में कुछ भी निहित होने के बावजूद, भारतीय बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति, [अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या राज्य बार काउंसिल की रिपोर्ट पर या किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर], के. एंजीनाप्पा बनाम के लिए वापस ले सकती है।

के. सी. कृष्णा रेड्डी और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

किसी भी राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति के समक्ष लंबित किसी भी अधिवक्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए किसी भी कार्यवाही की अपने समक्ष जांच करें और उसका निपटारा करें। (3) भारतीय बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति, इस धारा के तहत किसी भी मामले का निपटारा करते हुए, जहां तक हो सके, धारा 35 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगी।

उस धारा में महाधिवक्ता को संदर्भ के रूप में समझा जा रहा है

भारत के महान्यायवादी को।

(4) इस धारा के तहत किसी भी कार्यवाही के निपटारे में

भारतीय बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति कोई भी आदेश दे सकती है जो राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति धारा 35 की उप-धारा (3) के तहत कर सकती है और जहां जांच के लिए कोई कार्यवाही वापस ले ली गई है।

भारतीय बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति] राज्य बार

संबंधित परिषद ऐसे किसी भी आदेश को प्रभावी बनाएगी।

अधिवक्ता अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (3) में कहा गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक समिति किसी भी मामले का निपटारा करती है।

धारा 36 के तहत मामला जहां तक धारा 35 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा, उस धारा में महाधिवक्ता के संदर्भों को भारत के महान्यायवादी के संदर्भ के रूप में माना जाएगा।

अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (3) के तहत, राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति के लिए एक आदेश दिया गया है

महान्यायवादी को नोटिस और उक्त उप-धारा के तहत आदेश देने से पहले सुनवाई का अवसर।

हस्तांतरित शिकायत के संबंध में धारा 36 की उप-धारा (3) को ध्यान में रखते हुए, संभवतः नोटिस दिया जाना चाहिए

अधिनियम की धारा 36 की उप धारा (2) के अनुसार शिकायत का निपटारा करने से पहले भारत के महान्यायवादी। फिर ऐसे मामले में जांच की कार्यवाही न केवल जटिल हो जाएगी बल्कि पूरी कार्यवाही में भी देरी होगी। 9. हम एक वर्ष की अवधि के भीतर शिकायतों का निपटारा नहीं करने में संबंधित राज्य बार काउंसिल (ओं) की ओर से देरी को भी स्वीकार और सराहना नहीं करते हैं। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 36 बी के अनुसार,

राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति को धारा 35 के तहत प्राप्त शिकायत का शीघ्रता से निपटान करना होगा और प्रत्येक मामले में शिकायत प्राप्त होने की तारीख या [2021] 9 एस. सी. आर. की शुरुआत की तारीख से एक साल की अवधि के भीतर कार्यवाही पूरी करनी होगी।

यथास्थिति, राज्य विधिज्ञ परिषद के निर्देश पर कार्यवाही। एक वर्ष की अवधि के भीतर शिकायत का निपटारा करने में विफल रहने पर, ऐसी शिकायत को निपटाने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि यह जांच के लिए वापस ली गई कार्यवाही थी।

धारा 36 की उप धारा (2)। इसलिए, एक वर्ष की अवधि के भीतर धारा 35 के तहत राज्य बार काउंसिल द्वारा प्राप्त शिकायत का निपटान।

ऐसी शिकायत की प्राप्ति की तारीख से अनिवार्य है और संबंधित राज्य बार काउंसिल (ओं) को ऐसी शिकायतों का शीघ्रता से निपटान करना होगा और प्रत्येक मामले में कार्यवाही एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरी करनी होगी। केवल एक असाधारण मामले में, दर्ज किए जाने के लिए वैध कारण देकर कि शिकायत का निपटान एक वर्ष की अवधि के भीतर क्यों नहीं किया जा सका, ऐसी शिकायतों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया को स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है जैसा कि अधिवक्ता अधिनियम की धारा 36 बी के तहत प्रदान किया गया है। इसलिए, अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 के तहत प्राप्त शिकायतों का राज्य बार काउंसिल से बार काउंसिल ऑफ इंडिया को हस्तांतरण एक अपवाद है। हालाँकि, संबंधित राज्य बार काउंसिलों को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों से, शिकायतों का निपटारा नहीं किया जा रहा है

एक वर्ष के भीतर धारा 35 के तहत उनके द्वारा प्राप्त किया गया। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि शिकायतें साथी अधिवक्ताओं के खिलाफ दायर की जाती हैं और वे उन अधिवक्ताओं को अप्रसन्न नहीं करना चाहेंगे जिनके खिलाफ शिकायतें की जाती हैं। एक वर्ष की अवधि के भीतर शिकायतों का निपटारा नहीं करने के कुछ वैध कारण भी हो सकते हैं। लेकिन उसी के लिए, एक वर्ष की अवधि के भीतर शिकायतों का निपटारा क्यों नहीं किया जा सका, इसके कारण बताए/दर्ज किए जाने चाहिए। कई मामलों में, शिकायतों को जानबूझकर एक वर्ष से अधिक समय तक लंबित रखा जाता है, ताकि उन्हें वकील अधिनियम की धारा 36 बी के तहत भारतीय बार काउंसिल को हस्तांतरित किया जा सके।

9.1 अनुशासनात्मक पक्ष पर अपने कामकाज में सुधार करना बार काउंसिल ऑफ इंडिया/स्टेट बार काउंसिल का कर्तव्य है। इस मामले में न्यायालय

आर. मुथुकृष्णन बनाम पंजीयक, मद्रास उच्च न्यायालय, (2019) 16 एस. सी. सी. 407 के पास अधिवक्ता अधिनियम के अधिनियमन के उद्देश्य और उद्देश्य पर विचार करने का अवसर था; भारतीय बार काउंसिल/राज्य बार काउंसिल की भूमिका के साथ-साथ वकीलों की भूमिका। पैराग्राफ 15,16,17,25,26,33 और 44 में यह निम्नानुसार देखा गया है:

" 15. अधिवक्ता अधिनियम न्यायिक प्रशासन के सुधारों के विषय पर विधि आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 1953 में बनाई गई अखिल भारतीय बार समिति की सिफारिशों के अनुसार अधिनियमित किया गया है।

के. अंजिनाप्पा बनाम। के. सी. कृष्णा रेड्डी और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

अधिनियम के अधिनियमन के लिए विधेयक की मुख्य विशेषताओं में स्वायत्त बार काउंसिल का निर्माण शामिल है, जो पूरे भारत के लिए एक और प्रत्येक राज्य के लिए एक है। इस अधिनियम को कानूनी व्यवसायियों से संबंधित कानून में संशोधन और समेकन करने और बार काउंसिल और एक अखिल भारतीय बार के गठन का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

16. कानूनी पेशे की तुलना किसी अन्य पारंपरिक पेशे से नहीं की जा सकती है। यह प्रकृति में वाणिज्यिक नहीं है और एक है निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति और समाज पर इसके प्रभाव पर विचार करते हुए एक महान व्यक्ति। बार की स्वतंत्रता और बार काउंसिल की स्वायत्तता को संरक्षित करने के लिए वैधानिक रूप से सुनिश्चित किया गया है।

स्वयं लोकतंत्र और यह सुनिश्चित करना कि न्यायपालिका मजबूत रहे। जहाँ बार ने स्वतंत्र रूप से कर्तव्य का पालन नहीं किया है और एक चाटुकार बन गया है जिसके परिणामस्वरूप अंततः न्यायिक प्रणाली और स्वयं न्यायपालिका का अपमान करना। स्वतंत्र बार के बिना एक मजबूत न्यायिक प्रणाली का अस्तित्व नहीं हो सकता है।

17. यह नहीं कहा जा सकता कि वकीलों ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के संघर्ष में योगदान दिया है। उन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में मदद की है और कड़ी मेहनत और शोध कार्य करके न्यायशास्त्र को विकसित करने में अदालतों की मदद की है।

कानूनी प्रणाली की उत्कृष्टता को हर कीमत पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि संविधान जीवंत रहे और इसकी व्याख्या का विस्तार हो।

ताकि नई चुनौतियों का सामना किया जा सके।

25. डिलीवरी की प्रणाली में एक वकील की भूमिका अपरिहार्य है। न्याय की। वह पेशेवर नैतिकता और उच्च मानक बनाए रखने के लिए बाध्य है। उसका कर्तव्य अदालत के प्रति, अपने मुवक्किल के प्रति, विपरीत पक्ष के प्रति और विरोधी पक्ष के वकील का सम्मान बनाए रखना है। समाज में दूसरों के लिए जो उचित हो सकता है, वह उसके लिए अनुचित हो सकता है क्योंकि वह समाज के एक सम्मानित बौद्धिक वर्ग से ताल्लुक रखता है और एक महान पेशे का

सदस्य है, उससे अपेक्षा अधिक होती है। समाज में अधिवक्ताओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाता है।

लोगों को न्यायपालिका और न्यायिक प्रणाली में अपार विश्वास है और उनसे निपटने वाला पहला व्यक्ति एक वकील है। वादी एक वकील पर विश्वास करते हैं और उनके साथ विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी साझा करते हैं। वे जहाँ भी किसी वकील द्वारा पूछे जाते हैं, वहाँ अपने हस्ताक्षर करते हैं। एक अधिवक्ता से अपने अधिकारों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि वह बेदाग रहे।

उसके उद्देश्य के लिए न्याय दिया जाता है।

26. महान पेशे के उच्च मूल्यों की हर कीमत पर सभी संबंधितों द्वारा रक्षा की जानी चाहिए और सभी परिस्थितियों में युवाओं द्वारा भी प्रारंभिक वर्षों में अस्तित्व की लड़ाई में नहीं भुलाया जा सकता है। कानूनी पेशे की कुलीनता के लिए एक वकील को यह याद रखने की आवश्यकता होती है कि वह किसी भी मामले से अत्यधिक जुड़ा हुआ नहीं है क्योंकि वकील कोई मामला नहीं जीतता है या हारता है, न्याय का वास्तविक प्राप्तकर्ता है पर्दे के पीछे, जो प्राप्त करने वाले छोर पर है। वास्तव में, हम एक वादी को उसके अधिकारों को मान्यता देने के अलावा कुछ भी नहीं देते हैं। एक वादी को एक वकील द्वारा निष्पक्ष रूप से सलाह दिए जाने का अधिकार है। वकीलों को पैसे की हेराफेरी करने वाले या एम्बुलेंस का पीछा करने वाले नहीं माना जाता है। एक वकील को न्यायाधीश से किसी भी पक्ष की उम्मीद नहीं करनी चाहिए और निष्पक्ष निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने में किसी भी तरह से शामिल नहीं होना चाहिए। तथ्यों और कानून में महारत हासिल करना उसका कर्तव्य है और

अदालत में ठीक यही प्रस्तुत करें, उसका कर्तव्य अदालतों का समय बर्बाद करना नहीं है।

33. विधायिका ने अधिवक्ता अधिनियम को लागू करते समय बार की स्वायत्तता में विश्वास व्यक्त किया है और यह राज्य और केंद्रीय स्तर पर स्वायत्त बार परिषदों का प्रावधान करता है। कानूनी पेशे और कानूनी शिक्षा का नैतिक मानक बार काउंसिल को सौंपा गया है। इसे कानूनी पेशे की गरिमा बनाए रखनी होगी। और बार की स्वतंत्रता। अनुशासनात्मक नियंत्रण विभिन्न

राज्यों की बार परिषदों और भारतीय बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समितियों को सौंपा गया है और अधिनियम की धारा 38 के तहत इस न्यायालय में एक अपील है।

44. बार काउंसिल के पास वकीलों को अनुशासित करने और पेशे की कुलीनता बनाए रखने की शक्ति है और यह शक्ति बहुत अधिक लागू होती है

जिम्मेदारी। अदालत के पास अवमानना की शक्ति है और यह घातक शक्ति भी अधिक जिम्मेदारी के साथ आती है। अवमानना ब्रह्मास्त्र जैसा एक हथियार है जिसका उपयोग प्रभावी बने रहने के लिए संयम से किया जाना चाहिए। साथ ही, एक न्यायाधीश को अदालत की गरिमा की रक्षा करनी होती है और अवमानना में कार्रवाई करनी होती है और आवश्यकता पड़ने पर उचित अनुकरणीय सजा भी देनी होती है। एक वकील को पेशेवर नैतिकता, पेशेवर शिष्टाचार और पेशेवर लोकाचार द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए जो आचरण का एक आदतन तरीका है। उसके पास है भव्यता, गरिमा और शालीनता के साथ अपना प्रदर्शन करना। उसे हर समय खुद को सहन करना पड़ता है और खुद को उचित तरीके से देखना पड़ता है।

न्यायालय के एक अधिकारी के रूप में। वे समुदाय के एक विशेषाधिकार प्राप्त सदस्य और एक सज्जन व्यक्ति हैं। उसे ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है और के. अंजिनाप्पा बनाम।

के. सी. कृष्णा रेड्डी और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

कड़ी मेहनत के साथ नौकायन करें, फिर उनकी नाव तट तक पहुंचने के लिए बाध्य है। उसे ईमानदार, साहसी, वाक्पटु, मेहनती होना चाहिए।

विवेकपूर्ण और निर्णयात्मक "।

उपरोक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 85 में भी निम्नलिखित टिप्पणी की:

" 85. आत्मा की खोज बिल्कुल आवश्यक है और दोषारोपण और बदनाम करने का खेल तुरंत बंद होना चाहिए। आत्मविश्वास और श्रद्धा और सकारात्मक सोच ही एकमात्र रास्ता है। यह पवित्र आशा है कि बार

परिषद अपने अनुशासन के कार्य में सुधार करेगी।

समितियाँ ताकि प्रणाली को अधिक जवाबदेह बनाया जा सके, विभिन्न बार काउंसिलों के अनुशासनात्मक पक्ष पर प्रदर्शन लेखा परीक्षा प्रकाशित करें। इसे भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपने पर्यवेक्षी नियंत्रण के तहत हमेशा की तरह अच्छे विचारों को लागू कर सकती है।

इसके द्वारा और इतनी बुरी तरह से आवश्यक सफाई प्रक्रिया में पीछे नहीं रहेगा। यह पेशे को और अधिक महान बनाने के लिए है और काले भेड़ को संरक्षित करने के लिए पेशे से हटाना बिल्कुल आवश्यक है।

बार के समृद्ध आदर्श और जिन पर इसने स्वतंत्रता के मूल्यों के लिए संघर्ष किया। यह मूल रूप से बार को नियंत्रित करने के लिए न्यायालय के लिए नहीं है। यह बार का वैधानिक कर्तव्य है कि वह इसे और अधिक महान बनाए और न्यायाधीशों और कानूनी प्रणाली की रक्षा करे, न कि निष्क्रियता और प्रणाली द्वारा बार को नष्ट करे जो बार का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।

लोकतंत्र "।

10. इस प्रकार, अधिवक्ता अधिनियम के तहत, बार काउंसिल ऑफ इंडिया/स्टेट बार काउंसिल पर एक कर्तव्य डाला गया है कि वे वकीलों की अखंडता की रक्षा करें। कानूनी पेशा। यह बार काउंसिल ऑफ इंडिया/संबंधित राज्य बार काउंसिलों का कर्तव्य है कि वे हर कीमत पर कानूनी प्रणाली की कुलीनता सुनिश्चित करें। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 और 36 बी के तहत बार के सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। द.

धारा 35 और/या धारा 36 के तहत प्राप्त शिकायत का उक्त शिकायत प्राप्त होने की तारीख से एक साल की अवधि के भीतर और/या बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ऐसी कार्यवाही की तारीख से निपटान करना अधिदेश है। अधिनियम के तहत निर्धारित समय के भीतर शिकायत का निपटान नहीं करना अधिवक्ता अधिनियम के तहत दिए गए कर्तव्य का पालन करने में उनकी विफलता के समान होगा।

10.1 अधिवक्ता अधिनियम के तहत, बार काउंसिल ऑफ इंडिया/राज्य बार काउंसिलों पर एक कर्तव्य डाला गया है कि वे लोगों की अखंडता और कुलीनता की रक्षा करें।

कानूनी पेशा। उच्च न्यायालय की रिपोर्टों के मामले में, कानूनी पेशे की कुलीनता पर

पुन:: संजीव दत्ता, उप सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय

प्रसारण, नई दिल्ली; कैलाश वासदेव, अधिवक्ता और किट्टी

कुमारमंगलम (श्रीमती), अधिवक्ता (1995) 3 एस. सी. सी. 619, विभिन्न उदाहरणों पर ध्यान देते हुए, जिन्हें कानूनी पेशे और न्याय के प्रशासन दोनों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया जा सकता है, यह निम्नानुसार देखा गया है:

" 20. कानूनी पेशा एक गंभीर और गंभीर पेशा है। यह एक महान आह्वान है और जो भी इससे संबंधित हैं वे इसके सम्मानित सदस्य हैं। हालाँकि पेशे में प्रवेश केवल तकनीकी क्षमता की योग्यता प्राप्त करके किया जा सकता है, लेकिन एक पेशेवर के रूप में सम्मान उसके सदस्यों द्वारा अदालत के अंदर और बाहर उनके अनुकरणीय आचरण द्वारा बनाए रखा जाना चाहिए। कानूनी पेशा अन्य व्यवसायों से अलग है क्योंकि वकील जो करते हैं, वह न केवल एक व्यक्ति बल्कि प्रशासन को भी प्रभावित करता है।

न्याय जो सभ्य समाज की नींव है। समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के एक प्रमुख सदस्य और एक जिम्मेदार नागरिक दोनों के रूप में, वकील को अपने पेशेवर और अपने निजी और सार्वजनिक जीवन दोनों में दूसरों के लिए एक आदर्श के रूप में व्यवहार करना पड़ता है। समाज को उनसे इस तरह के आदर्श व्यवहार की उम्मीद करने का अधिकार है।

अदालत ने आगे कहा: (एससीसी पीपी। 634-35 , पैरा 20)

" 20. ..... अगर पेशे को जीवित रहना है, तो न्यायिक प्रणाली को जीवंत करना होगा। सिस्टम बनाने में कोई भी सेवा बहुत छोटी नहीं होगी।

कुशल, प्रभावी और विश्वसनीय। जिस लापरवाही और उदासीनता के साथ कुछ सदस्य इस पेशे का अभ्यास करते हैं, वे निश्चित रूप से हैं।

उस उद्देश्य को प्राप्त करने या उस पेशे या संस्था की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए गणना नहीं की जाती है जिसकी वे सेवा कर रहे हैं। यदि लोग उसके कुछ सदस्यों के विचलित तरीकों के कारण पेशे में विश्वास खो देते हैं, तो यह न केवल पेशा है जो पीड़ित होगा, बल्कि समग्र रूप से न्याय का प्रशासन भी होगा। वर्तमान प्रवृत्ति जब तक नियंत्रित नहीं की जाती है, तब तक एक ऐसे चरण की ओर ले जाने की संभावना है जब प्रणाली बाहर से नष्ट होने से पहले भीतर से नष्ट हो जाएगी।

10.2 धनराज सिंह चौधरी बनाम नाथूलाल विश्वकर्मा, (2012) 1 एस. सी. सी. 741 में यह देखा गया है कि अपने मुवक्किल के साथ व्यवहार करने के प्रति एक अधिवक्ता का रवैया ईमानदारी से ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए और पेशेवर कदाचार के लिए सजा के दो उद्देश्य हैं-निवारण और सुधार।

के. अंजिनाप्पा बनाम। के. सी. कृष्णा रेड्डी और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

10.3 कृष्ण अय्यर जे. ने वी. सी. रंगदुरई बनाम में कहा है। डी.

एलान, (1979) 1 एस. सी. सी. 308, निम्नानुसार:

" 5. एक पेशे के रूप में कानून की कुलीनता केवल तब तक रहती है जब तक सदस्य

सत्यनिष्ठा और सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखें

समुदाय "।

10.4 इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों को संदर्भित करने के बाद

अधिवक्ताओं की योजना के रूप में अजीतसिंह अर्जुनसिंह गोहिल

गुजरात परिषद और ए. एन. आर. , (2017) 5 एस. सी. सी. 465, यह देखा जाता है

निम्नानुसार रैग्राफ 39 और 40:

एक वकील को कुलीन वर्ग का हिस्सा माना जाता है।

“ 39. ... .

पेशा और समाज के एक कुलीन सदस्य के रूप में अपेक्षित, होना पेशेवर रूप से जिम्मेदार और लगातार खुद को याद दिलाते हैं कि उनका

न्याय के उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान की जाती हैं। जैसा कि हो चुका है।

पांडुरंग दत्तात्रेय खांडेकर बनाम। बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र [पांडुरंग दत्तात्रेय खांडेकर बनाम। बार

महाराष्ट्र परिषद, (1984) 2 एस. सी. सी. 556], एक अधिवक्ता है।

वादियों की ओर एक लोको पेरेंटिस में। उसका एक सर्वोच्च कर्तव्य है। अपने मुवक्किल और मुवक्किल को निस्वार्थ, ईमानदार प्राप्त करने का अधिकार है

और ईमानदार व्यवहार।

40. एक बार जब एक वादी द्वारा शिकायत की जाती है, तो उसे एक का पालन करना होता है

निश्चित प्रक्रिया और इसके अनुसार निपटा जाना आवश्यक है

के भीतर अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त करने के लिए अधिनियम का आदेश

शिकायत की प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि या

के आग्रह पर कार्यवाही शुरू करने की तारीख

राज्य बार परिषद। कई मौकों पर यह बात ध्यान में आई है

इस न्यायालय का कि राज्य बार काउंसिल का अनुशासनात्मक प्राधिकरण है

निर्धारित अवधि के भीतर शिकायत का निपटान नहीं करना, जिसके परिणामस्वरूप कार्यवाही बी. सी. आई. को हस्तांतरित की जाती है।

अनुशासनात्मक कार्यवाही से निपटने की जिम्मेदारी डाली जाती है

राज्य बार काउंसिल पर जो इसके अनुशासनात्मक का गठन करती है

समिति। अनुशासन समिति का प्रत्येक सदस्य जागरूक है कि कार्यवाही एक वर्ष के भीतर पूरी करनी होगी। द.

शिकायतकर्ता और अपराधी अधिवक्ता को सहयोग करना आवश्यक है।

कुछ ऐसा न करना जो किसी को करने के लिए आवश्यक है, के बराबर है

किसी संस्था या सांविधिक निकाय की गैरजिम्मेदारी और प्रतिष्ठा

यहाँ जिम्मेदारी निभाने में। एक हमेशा नहीं हो सकता है निर्णय में सही लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि [2021] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निर्णय लेने से और मामले को कानून के संचालन द्वारा बी. सी. आई. को स्थानांतरित करने की अनुमति दें। एक सांविधिक प्राधिकारी लगातार खुद को याद दिलाने के लिए बाध्य है कि क़ानून का अधिदेश है

समीचीनता और समय की शर्त अनिवार्य है। यह कहना गलत नहीं होगा कि अनुशासन समिति से एक समय सीमा के भीतर अपने कर्तव्य का पालन करने की अपेक्षा की जाती है न कि एक निंदनीय स्थिति पैदा करने की। यह याद रखना बेहतर है कि अपनी अंतरात्मा को स्पष्टीकरण देना

"दुर्घटना" पर हर चीज को दोष देने के समान है। जब कर्तव्य कानून द्वारा दिए जाते हैं, तो कर्तव्यों की आवश्यकता होती है -

प्रदर्शन किया जाए "।

10.5 जे. एस. जाधव बनाम। मुस्तफा हाजी मोहम्मद यूसुफ, (1993) सी 562, इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की है:

" वकालत एक कला नहीं बल्कि एक आह्वान है; एक ऐसा पेशा जिसमें

कर्तव्य के प्रति समर्पण एक पहचान है। प्रदर्शन की ईमानदारी और प्रयास की गंभीरता दो शाखाएं हैं जो सफलता के मीनार के पैरोकार को ऊपर उठाएंगी। इन गुणों को देखते हुए अन्य योग्यताएँ उनके अपने खाते का अनुसरण करेंगी। यही कारण है कि कानूनी पेशे को एक महान पेशा माना जाता है।

10.6 कोक्कंडा में बी. पूंडाचा बनाम। के. डी. गणपति, (2011) सी. सी. 600, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:

" एक वकील और उसके मुवक्किल के बीच संबंध पूरी तरह से विश्वास और विश्वास पर आधारित होता है। एक वकील गोपनीय जानकारी किसी और को नहीं दे सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अपने मुवक्किल का प्रत्ययी है, जो वकील में विश्वास और विश्वास रखता है।

इसलिए, उसका कर्तव्य है कि वह अपने मुवक्किल के प्रति अपने सभी दायित्वों को सावधानी से पूरा करे और सद्भावना से कार्य करे। चूँकि मुवक्किल कानूनी कार्यवाही को संभालने का पूरा दायित्व एक वकील को सौंपता है, इसलिए उसे उबेरिमा फिडेस के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना पड़ता है अर्थात

पूर्ण विश्वास, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और निष्ठा "।

10.7 ओ. पी. शर्मा बनाम पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय,) 6 एस. सी. सी. 86, इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की है:

" एक वकील को अदालत के साथ अपने व्यवहार में गरिमापूर्ण होना चाहिए, उनके साथी वकीलों और वादियों के लिए। उसे बहुत ईमानदारी रखनी चाहिए और कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे उसकी विश्वसनीयता कम हो। एक अधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह कनिष्ठों को ज्ञान प्रदान करे और प्रोत्साहित करे।

पेशा। एक आदर्श अधिवक्ता को यह मानना चाहिए कि कानूनी पेशे में सेवा का एक तत्व भी है और वह के. एंजीनाप्पा बनाम के साथ संबद्ध है।

के. सी. कृष्णा रेड्डी और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

कानूनी सेवा गतिविधियाँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बार के अध्याय II, भाग VI में निर्धारित पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए।

भारतीय परिषद के नियम "।

10.8 हरिशंकर रस्तोगी बनाम गिरधारी शर्मा, (1978) 2

165 , इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:

" (.....) बार न्याय प्रणाली का एक विस्तार है; एक अधिवक्ता न्यायालय का एक अधिकारी होता है। वह विशेषज्ञता में निपुण है लेकिन उससे भी अधिक, अदालत के प्रति जवाबदेह और उच्च नैतिकता द्वारा शासित है। न्यायिक प्रक्रिया की सफलता अक्सर इन सेवाओं पर निर्भर करती है -

कानूनी पेशा "।

10.9 बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र बनाम। एम. वी. दाभोलकर,

5) 2 एस. सी. सी. 291, इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की है:

" वकील की महत्वपूर्ण भूमिका उसकी ईमानदारी पर निर्भर करती है और

पेशेवर जीवन शैली। यह याद रखें कि केंद्रीय कार्य

उन मानदंडों का ईमानदारी से पालन करने के लिए वकील जो उसे बनाते हैं एक वाहन के रूप में उस पर समुदाय के विश्वास के योग्य

न्याय-सामाजिक न्याय "।

10.10 भारतीय बार काउंसिल की भूमिका पर, आंध्र प्रदेश

मंगू सिहारी बनाम बार काउंसिल ऑफ स्टेट के मामले में न्यायालय

एच. आर. ए. पी., ए. आई. आर. 1983 ए. पी. 271 ने पैराग्राफ 7 में कहा है

3 निम्नानुसार:

" 7. इस संदर्भ में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अधिवक्ता अधिनियम और बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए नियमों की गणना पेशेवर आचरण के उच्च मानक को बनाए रखने के लिए की जाती है। इस उद्देश्य के लिए, यह प्रावधान किया गया है कि पेशेवर कदाचार का कोई भी आरोप

उक्त पेशे के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा पूछताछ की जाए, जिनमें पेशेवर निकाय ने उन्हें चुनने का विश्वास व्यक्त किया है। अधिवक्ता अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के आर. 36-बी में शीघ्रता की परिकल्पना की गई है। शिकायत के निपटारे के लिए एक वर्ष की अवधि निर्धारित करके ऐसी किसी भी शिकायत का निपटान करना और यह निर्धारित करना कि यदि जांच का इस तरह से निपटारा नहीं किया जाता है तो इसे भारतीय बार काउंसिल को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। न तो अधिनियम और न ही अनुशासनात्मक कार्यवाही को नियंत्रित करने वाले नियमों में सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट वाली इन कार्यवाही पर रोक लगाने की परिकल्पना की गई है

[2021] 9 एस सी आर।

किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के समक्ष किसी आपराधिक या दीवानी मामले के लंबित होने के संबंध में। शिकायतकर्ता स्वयं कार्यवाही वापस नहीं ले सकता है। शिकायतकर्ता की मृत्यु भी बार काउंसिल के समक्ष अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त नहीं करती है। यह केवल अनुशासन समिति का निर्णय है जो कार्यवाही को समाप्त करता है। अत्यधिक अभियान के साथ इस तरह की कार्यवाही का निपटान उस अधिवक्ता के हित में है जिसकी पेशेवर ईमानदारी दीक्षा और विचाराधीनता के परिणामस्वरूप एक बादल के नीचे है।

अनुशासनात्मक कार्यवाही।

13. XXXXXXXXX

बार-काउंसिल जैसे पेशेवर निकाय के पास कानूनी पेशे के सदस्यों के खिलाफ कदाचार के आरोपों की जांच करने का विशेष अधिकार क्षेत्र होता है और उसे एक साल की अवधि के भीतर ऐसे आरोपों की जांच का तेजी से निपटारा करने का आदेश दिया जाता है। उस प्रावधान का उद्देश्य न केवल विशेष अधिवक्ता पर पड़ने वाले दबाव को जल्द से जल्द दूर करना है, बल्कि इस नेक पेशे को ऐसे सदस्यों से दूर रखना भी है। अधिवक्ताओं का कर्तव्य न केवल अपने मुवक्किलों

के प्रति बल्कि अदालत के साथ-साथ कानून और न्याय के प्रशासन में भी होता है। यह अधिवक्ता के हित में है और विशेष रूप से कार्यवाही कम से कम के साथ समाप्त होती है।

संभावित विलम्ब। केवल इसलिए कि किसी मुद्दे के संबंध में अदालत या प्राधिकरण के समक्ष कुछ दीवानी या आपराधिक कार्यवाही लंबित है।

उस कार्यवाही और उससे पहले की कार्यवाही के लिए सामान्य

बार काउंसिल की अनुशासन समिति और बार काउंसिल के समक्ष कार्यवाही पर रोक के परिणामस्वरूप पेशेवर निकाय के वैधानिक कार्यों के निर्वहन में गंभीर हस्तक्षेप होगा।

जब तक इस तरह की कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाती, तब तक इसका परिणाम होगा

न्याय की विफलता। हमारे विचार में इस तरह के कदम से बचा जाना चाहिए। हम आंध्र द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं।

प्रदेश उच्च न्यायालय।

10.11 मार्कंड सी. गांधी बनाम रोहिणी एम. दांडेकर, (2008) 10 एस. सी. सी. 792 में, यह पाया गया कि वर्ष 1984 में राज्य बार काउंसिल के समक्ष एक शिकायत दायर की गई थी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को स्थानांतरित कर दी गई थी, जो 22 वर्षों तक उसके समक्ष लंबित रही, इस अदालत ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष देखेंगे कि भविष्य में, शिकायतों को उचित प्रेषण के साथ निपटाया जाए, न कि आराम से ताकि लोग बार काउंसिल ऑफ इंडिया में विश्वास कर सकें, जो एक वैधानिक और स्वायत्त निकाय है।

के. अंजिनाप्पा बनाम। के. सी. कृष्णा रेड्डी और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

हम यह देखने के लिए विवश हैं कि उपरोक्त के बावजूद

टिप्पणियाँ, फिर भी शिकायतों का उचित प्रेषण के साथ निपटान नहीं किया जाता है और सबसे पहले, राज्य बार परिषदों द्वारा एक वर्ष के लिए और उसके बाद भारतीय बार काउंसिल द्वारा लंबित रखा जाता है।

11. जैसा कि ऊपर देखा गया है, वरिष्ठ वकील और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री मनन कुमार मिश्रा ने कहा है कि धारा के तहत शक्तियों के प्रयोग में आवश्यक दिशानिर्देश/निर्देश

48 बी भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा सभी राज्य विधिज्ञ परिषदों को अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 के तहत प्राप्त शिकायतों का एक वर्ष की अवधि के भीतर और केवल अपवादात्मक मामलों में निपटारा करने के लिए जारी किया जाएगा।

और संबंधित राज्य बार काउंसिल द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए और यदि वैध कारणों से, उक्त शिकायत का निपटारा नहीं किया जा सका

36 अधिवक्ता अधिनियम का बी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष द्वारा बताए गए उचित निर्देश जारी करने का निर्देश दिया जाता है। यहां तक कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी निपटान करने की आवश्यकता है ऐसी शिकायतों/कार्यवाही की प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर हस्तांतरित शिकायतें/हस्तांतरित कार्यवाही।

12. इसलिए, हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अंत में हस्तांतरित शिकायतों का निपटारा करने का निर्देश देते हैं, जिनके विवरण निर्दिष्ट किए गए हैं।

इसके ऊपर तेजी से लेकिन आज से एक साल के बाद नहीं और जिसके लिए भारतीय बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति भी सर्किट सुनवाई कर सकती है।

12.1 हम संबंधित राज्य बार काउंसिलों को धारा 35 के तहत प्राप्त शिकायतों पर निर्णय लेने और उनका निपटारा करने का भी निर्देश देते हैं।

अधिवक्ता अधिनियम की धारा 36 बी के तहत शिकायत प्राप्त होने की तारीख से एक साल की अवधि के भीतर इसे शीघ्रता से समाप्त करना। 12.2 केवल असाधारण मामले में और दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए जहां यह पाया जाता है कि वैध कारणों से, कार्यवाही नहीं हो सकी

अधिवक्ताओं की धारा 36 बी के तहत निर्धारित अवधि के भीतर पूरा किया गया

अधिनियम, तभी और तभी ऐसी कार्यवाहियां भारतीय विधिज्ञ परिषद को हस्तांतरित की जाएंगी और इस तरह के हस्तांतरण पर भारतीय विधिज्ञ परिषद भी ऐसी हस्तांतरित कार्यवाहियों की प्राप्ति से एक वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी हस्तांतरित कार्यवाहियों/शिकायतों का निपटारा करेगी।

13. उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष 1273 शिकायतें (27 शिकायतों को छोड़कर जो निपटाई गई हैं) लंबित हैं, यह उचित और आवश्यक है कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उक्त शिकायतों के निपटारे के लिए एक तंत्र पाया जाए।

भारतीय बार काउंसिल द्वारा उन शिकायतों के कुशल और त्वरित निपटान के लिए, जिन्हें अधिनियम की धारा 36 बी के अनुसार स्थानांतरित किया गया है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया अनुभवी और अनुभवी अधिवक्ताओं और/या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को जांच अधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार कर सकती है, जहां जांच की आवश्यकता होगी। इस तरह की जांच पूरी होने पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जांच अधिकारियों की रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। उक्त जांच रिपोर्ट पर विचार करने पर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया शिकायत पर उचित आदेश पारित कर सकती है।

उपरोक्त सुझाव भारतीय बार काउंसिल के समक्ष लंबित शिकायतों की संख्या को ध्यान में रखते हुए दिया जा रहा है, अर्थात

हस्तांतरित शिकायतें जो इस तरह के स्थानांतरण पर अनुशासनात्मक प्राधिकरण के रूप में कार्य करेंगी क्योंकि उक्त शिकायत का उचित समय के भीतर निपटान करना अत्यधिक असंभव होगा यदि जांच भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा की जानी है।

इसलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से जांच करने के उद्देश्य से जांच अधिकारियों के एक पैनल को सूचीबद्ध करने के लिए राज्य बार काउंसिल को उपयुक्त निर्देश जारी कर सकती है।

संबंधित राज्य स्वयं और उक्त जांच के समापन पर जांच रिपोर्ट को बार काउंसिल ऑफ इंडिया को प्रेषित करें ताकि वह इस मामले में आगे की कार्रवाई कर सके।

यह शिकायतकर्ताओं और संबंधित अधिवक्ताओं को, जिनके खिलाफ शिकायतें की जाती हैं, उस राज्य में जहां भी ऐसी जांच शुरू की जाती है जहां शिकायत दर्ज की गई है, जांच अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने में भी सक्षम बनाएगा। यह शिकायतकर्ताओं द्वारा दायर शिकायतों पर की जाने वाली जांच, यदि कोई हो, के समक्ष उपस्थित होने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से दिल्ली की यात्रा करने के लिए पक्षों को होने वाली कठिनाइयों को भी दूर करेगा।

इसके अलावा और जैसा कि ऊपर निर्देश दिया गया है, भारतीय बार काउंसिल भी राज्य बार काउंसिल को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करेगी

एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिवक्ताओं के खिलाफ दायर शिकायतों से कार्यवाही क्योंकि संसद का इरादा के. एंजीनाप्पा बनाम को प्रतीत होता है।

के. सी. कृष्णा रेड्डी और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

शिकायतों को कानून के संचालन द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया को स्थानांतरित किया जाना चाहिए और इस तरह अखिल भारतीय निकाय पर बोझ बढ़ना चाहिए और साथ ही राज्य बार काउंसिल के लिए शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करने और बस समय बीतने की प्रतीक्षा करने के लिए एक मार्ग बनाना चाहिए ताकि कानून के संचालन द्वारा उक्त शिकायत बार काउंसिल ऑफ इंडिया को स्थानांतरित की जा सके। वास्तव में, अधिनियम की धारा 36 बी में कहा गया है कि राज्य बार काउंसिल द्वारा कार्यवाही को पूरा करने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए।

जैसा कि उक्त प्रावधान में कहा गया है, एक वर्ष की अवधि के भीतर उनके द्वारा प्राप्त शिकायतें। जब राज्य बार काउंसिल से बार काउंसिल ऑफ इंडिया को हस्तांतरित शिकायतों की संख्या को उपरोक्त आंकड़ों से नोट किया जाता है, तो इसका तात्पर्य है कि राज्य बार काउंसिल अधिनियम की धारा 36 बी के तहत प्रदान की गई एक वर्ष की अवधि के भीतर शिकायतों का निपटारा नहीं करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रही है।

इसके अलावा राज्य बार काउंसिल को एक वर्ष की अवधि के भीतर शिकायतों का निपटान करने में सक्षम बनाने के लिए, जैसा कि धारा 36 बी के तहत प्रावधान किया गया है।

अधिनियम के अनुसार, राज्य बार काउंसिल की संबंधित अनुशासनात्मक समितियों की नियमित आधार पर बैठक होनी चाहिए।

राज्य बार काउंसिल जांच अधिकारियों के एक पैनल को भी सूचीबद्ध कर सकती है, जिन्हें शिकायत पर आवश्यकता पड़ने पर जांच करने का काम सौंपा जा सकता है।

राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति

उक्त जांच रिपोर्ट पर विचार करने पर अधिनियम की धारा 35 के प्रावधान के अनुसार आदेश पारित किए जा सकते हैं।

14. हम उपरोक्त निर्देश जारी करने के लिए विवश हैं और

इस न्यायालय की टिप्पणियों के संबंध में सुझाव जो हैं - निम्नानुसार निकाला गया:

(i) "बार काउंसिलों को इस रूप में कार्य करने का कर्तव्य दिया गया है

पेशेवर आचरण के प्रहरी और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि

पेशे की गरिमा और शुद्धता किसी भी तरह से नहीं है।

कमजोर कर दिया। इसका काम पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों को बनाए रखना है। इस प्रकार प्रत्येक राज्य विधिज्ञ परिषद और भारतीय विधिज्ञ परिषद का सार्वजनिक कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित कार्य करें -

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के तहत व्यवहार का एकाधिकार दिया जाए

[2021] 9 एस सी आर।

अधिवक्ता के रूप में नामांकित व्यक्ति द्वारा अधिनियम का दुरुपयोग या दुरुपयोग नहीं किया जाता है। राज्य स्तर के साथ-साथ केंद्रीय स्तर पर बार काउंसिलों का गठन न केवल अपने सदस्यों के अधिकारों, हितों और विशेषाधिकारों की रक्षा करने के लिए किया गया है, बल्कि उच्च और महान परंपराओं को बनाए रखना सुनिश्चित करके मुकदमेबाजी करने वाली जनता की रक्षा करने के लिए भी किया गया है ताकि लोगों की शुद्धता और गरिमा बनी रहे।
पेशा खतरे में नहीं है "।

[भारतीय कानूनी सहायता और सलाह परिषद v. बार काउंसिल

भारत सरकार, (1995) 1 एस. सी. सी. 732]

((ख)

" बार काउंसिल का हित मानकों को बनाए रखना है

पेशे में पेशेवर आचरण और शिष्टाचार, जो ईमानदारी और आपसी विश्वास पर आधारित है। बार काउंसिल कुलीन वर्ग की उच्च परंपराओं के संरक्षक के रूप में कार्य करती है।

पेशा "।

[बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र बनाम एम. वी. दाभोलकर

(1975) 2 एससीसी 702]

((iii) "प्रत्येक बार काउंसिल एक निगमित निकाय है। राज्य बार काउंसिल के कार्य अन्य बातों के साथ-साथ व्यक्तियों को इस रूप में स्वीकार करना है -

वकालत की, अपने रोल पर; इस तरह के रोल को तैयार करने और बनाए रखने के लिए; उनके खिलाफ कदाचार के मामलों का मनोरंजन और निर्धारण करने के लिए

अपने रोल पर अधिवक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा करने के लिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्य पेशेवरों के मानकों को निर्धारित करना है। अधिवक्ताओं के लिए आचरण और शिष्टाचार, अनुशासन समिति द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए

बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अनुशासन समितियाँ
अधिवक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा के लिए राज्य बार परिषदों का गठन। एक बार काउंसिल को अधिनियम के तहत एक या अधिक अनुशासनात्मक गठन करने का अधिकार है।

समितियाँ "।

[आदि फिरोजशाह गांधी बनाम। एच. एम. सीरवई, महाराष्ट्र के महाधिवक्ता (1970) 2 एस. सी. सी. 484]

" बार काउंसिल को सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

((iv)

शिकायतों को स्वीकार करना, दूसरा, पेशेवर या अन्य दुराचार के अपराध का उचित विश्वास बनाने में और अंत में मामले को उसके अनुशासन के लिए संदर्भित करने में।

15. अब जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, i

बाद में यहां तक कि अपील याचिकाकर्ता नंबर 1 द्वारा की गई शिकायत का निपटारा राज्य बार आर दिनांक 11.03.2017 द्वारा किया गया है, जिसके खिलाफ एक संशोधन लागू होता है।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अपीलार्थी द्वारा की गई शिकायत पर मैट आर की आवश्यकता होती है।16. उपरोक्त और कारणों को ध्यान में रखते हुए राज्य की अपील का उपरोक्त निर्देश के साथ निपटारा किया जाता है।

भारत के एन. सी. एल. और संबंधित राज्य बार काउंसिल (ओं)।

ऐप

पांडे